

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 4039/एफ-2-104/31/एस-2/2021,
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2023

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बस्तर जिले के विकासखण्ड-बस्तर की कोसारटेडा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के मुख्य बांध का रिसेक्शनिंग कार्य एवं टरफिंग कार्य, पिचिंग सुधार एवं उन्नयन कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- 1. छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग का पत्र क्र.-3041/एफ-2-104/31/एस-2/2021, नवा रायपुर, दि. 21.06.2022.
2. छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग का पत्र क्र.-5639/एफ-2-104/31/एस-2/2021, नवा रायपुर, दि. 18.11.2022.
3. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर का पत्र क्र.-कार्य/कोसारटेडा/2022/7007, दिनांक 11.09.2023

बस्तर जिले के विकासखण्ड-बस्तर की कोसारटेडा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के मुख्य बांध का रिसेक्शनिंग कार्य एवं टरफिंग कार्य, पिचिंग सुधार एवं उन्नयन कार्य हेतु संदर्भित पत्र क्र.-2 से दिनांक 18.11.2022 को जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की कंडिका-4 में उल्लेखित बजट शीर्ष मांग संख्या-75, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त योजनाएं, लेखा शीर्ष 4700-वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [02]-महानदी परियोजना समूह, {800}-अन्य व्यय, 0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (ग्रामान्तर्गत), {3366}-वृहद् सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड), #26-वृहद् निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर अंतर्गत वृद्धि किया गया है।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश दिनांक 18.11.2022 की कंडिका क्र.-4 में संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :-

योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [33]-कोसारटेडा, {800}-अन्य व्यय, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (3366)-मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

2/संदर्भित पत्र क्र.-2 से जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में निहित अन्य नियम, शर्तें यथावत् रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग पाण्डेय)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 4040 / एफ-2-104 / 31 / एस-2 / 2021,

नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
11. उच्च संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
15. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग